K.11024/ 3/ 2013-DCC (AYUSH)
Government of India
Ministry of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH)

AYUSH Bhawan
B-Block, GPO Complex,
INA, New Delhi-110023 .

Dated: 31st January, 2017.

Subject: Ministry of AYUSH signs Memorandum of Understanding with the Advertising Standards Council of India (ASCI) for monitoring of AYUSH advertisements in print and electronic media-reg

The undersigned is directed to refer the subject cited above and inform that with the objective to curtail malpractices in the advertisement of Ayurvedic, Siddha, Unani and Homoeopathic drugs and various therapies, Ministry of AYUSH has signed a MoU on 20th January, 2017 partnering with the Advertising Standards Council of India (ASCI) and it is available in the Ministry's website www.ayush.gov.in for public information and compliance by the stakeholders.

AYUSH Drugs Manufacturers Associations are hereby urged to take notice of the MoU and inform their member manufacturers to abstain from making such advertisements and exaggerated claims in the print and electronic media that may mislead the public and tantamount to violation of legal provisions and guidelines of advertising. Concerned advertiser/manufacturer, as and when informed by ASCI and brought to the notice of State Authority about the inappropriate advertisement, should comply for rectifying or withdrawing that advertisement within the given timelines. Otherwise action shall be initiated by the State Authority against the defaulter acting in contravention of the relevant provisions of the Drugs & Magic Remedies (Objectionable Advertisements) Act, 1954, Drugs & Cosmetics Act, 1940 and rules thereunder and other prescribed guidelines and code of advertising. With this aim-specific caution cooperation of all concerned is solicited with immediate effect to achieve the objective of curbing the veracity of misleading/improper advertisements of ASU&H products across print and electronic media.

31.1.17

(R. P. Shukla)
Under Secretary to the Govt. of India

To

All AYUSH Drugs Manufacturers Associations as per list attached

Memorandum of Understanding(MoU)

This Memorandum of Understanding ("MoU") is executed at New Delhi on this 20th day of the month of **January** in the Year 2017 between the Ministry of AYUSH, Government of India having its office at AYUSH Bhawan, GPO complex, INA Colony, New Delhi-110023 through its authorized signatory **Dr. D. C. Katoch** (hereinafter referred to as ("AYUSH") (which expression shall, where the context so admits, be deemed to include its successors, executors, administrators and assignees) on the ONE PART.

AND

The Advertising Standards Council of India (ASCI), a self-regulatory voluntary organization of the advertising content, having its office at 717/B, Aurus Chambers, S.S. Amrutwar Marg, Worli, Mumbai-400018, through its authorized signatory Sh. **Srinivasan K Swamy** (hereinafter referred to as "ASCI") (which expression shall, where the context so admits, be deemed to include its successors, executors, administrators and assignees) on the OTHER PART.

Both AYUSH and ASCI shall hereinafter be collectively referred to as "Parties" and individually as "Party".

WHEREAS:

Ministry of AYUSH was formed on 9th November, 2014 to ensure the optimal development and global propagation of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homeopathy.

AND

ASCI & its Consumer Complaints Council (CCC) deal with the complaints received from Consumers, Industry as well as regulatory authorities against Advertisements which are considered as False, Misleading, Indecent, Illegal, leading to Unsafe practices, or Unfair to competition, and in contravention of the ASCI Code for Self-Regulation in Advertising.

WHEREAS the Ministry of AYUSH is desirous of assigning the work of processing the complaints of misleading advertisements with respect to Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homeopathy Medicines, treatments and related services on behalf of Ministry of AYUSH.

WHEREAS the ASCI has accepted the work for processing the complaints of misleading advertisements with respect to Ayuerveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homeopathy Medicines, treatments and related services on behalf of AYUSH.

Accordingly, it is hereby agreed by and between the Parties as follows:

1. **EFFECTIVE DATE:**

This MoU shall come into force with effect from 20th January, 2017 to 19th January, 2018.

2. **TERM OF THE MoU:**

The MoU will be operative initially for a period of one year from the effective date as mentioned at point no. 1 and may be renewed for further period as per mutual agreement of the Ministry of AYUSH and the ASCI.

3. **SCOPE OF WORK:**

3.1 To undertake comprehensive monitoring of advertisements appearing with respect to Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homeopathy Medicines, treatments and related services in print & TV media. However, this does not include Teleshopping advertisements.

3.2 Complaints being received directly by ASCI from consumers/any other stakeholders/ Suo Moto, across media (media are any means used for the propagation of advertisements and including and not limited to Press / Print media, TV, Radio, any written or graphic matter on Packaging and labelling, Cinema, Hoardings, Point of Sale Material, Hand Bills, Direct mail, posters, Internet, etc.) be processed by ASCI and included in the report to be provided to Ministry of AYUSH. However, complaints against Teleshopping advertisements would be directly referred to the Ministry of AYUSH for their perusal and necessary action.

3.3 To handle complaints forwarded by the Ministry of AYUSH.

3.4 To bring to the notice of the defaulter, the concerned State Regulatory Authority (wherever the details of the concerned manufacturer/ advertiser of the said product/s or service/s being advertised are available to ASCI) as well as the Ministry of AYUSH any Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homeopathy Medicines, treatments and related services advertisement that is violating the relevant Rules and Regulations, the Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisements) Act, 1954 and Rules thereunder,

the Drugs and Cosmetics Act, 1940 and Rules thereunder and /or the provisions of ASCI's code for Self –Regulation in Advertising, making unsubstantiated claims and misleading the consumers, action taken by ASCI and non-compliance of ASCI's recommendation for further action required to be taken by the State Regulatory Authorities and the Ministry of AYUSH. Advertisements that prima facie are in potential violation of the Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisements) Act, 1954 and Rules thereunder and the Drugs and Cosmetics Act, 1940 and Rules thereunder would be directly referred to the Ministry of AYUSH and the concerned State Regulatory Authority (wherever the details of the concerned manufacturer/ advertiser of the said product/s or service/s being advertised are available to ASCI) for their information and necessary action.

3.5 The complaints shall be handled from the stage of taking cognizance of the complaint till the final recommendation by ASCI in consonance with principles of advertising laid down in ASCI's Code and current guidelines, for Self-Regulation in Advertising, the Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisements) Act, 1954, the Drugs and Cosmetics Act, 1940 and Rules thereunder and/or Government Rules & Regulations, which may be amended and new guidelines issued from time to time. The mechanism of examination of such complaints may be as per ASCI's procedures and processes, as modified from time to time. The final decision whether or not an advertisement is misleading objectionable and/ or undesirable shall be taken in accordance with the relevant Rules & Regulations, the Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisements) Act, 1954 and Rules thereunder, the Drugs and Cosmetics Act, 1940 and Rules thereunder and/or ASCI's Code for Self-Regulation in Advertising by AYUSH/Competent Authority after considering the recommendations made by ASCI.

3.6 The process of 'Review' sought by advertisers on decisions as given by ASCI shall be applicable on all complaints referred by Ministry of AYUSH, or complaints received by ASCI, or complaints processed on Suo Moto basis by ASCI. A 'Review' shall be treated as a separate complaint for the purposes of adjudication and of fees payable to ASCI.

3.7 When any recommendation made by ASCI on a complaint relating to Ayuerveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homeopathy Medicines, treatments and related services is the subject of challenge in a court of law or ASCI is involved as a party along with the Ministry of AYUSH in such court proceedings, then ASCI and the Ministry of AYUSH shall jointly defend the case. The cost incurred in defending the court case in such/any court proceedings shall be equally shared between ASCI and the Ministry of AYUSH.

3.8 In cases where there is more than one complaint against a single party's advertisement/s which have the same claim, these shall be clubbed together and shall be treated as single complaint.

3.9 Advertisements processed by CCC and/or resolved wherein the advertiser ensures compliance within stipulated time from the date of the complaint being received by advertiser shall be taken into consideration for reckoning of number of complaints during the year/period.

4. **REPORTS**:

4.1 ASCI shall send a monthly report to the Ministry of AYUSH on the number of complaints processed during that particular month. The report shall be sent within 15 working days after the minutes of the last meeting of ASCI's CCC for that particular month are issued.

4.2 Non-Compliance in terms of absence of confirmation of compliance within the specified time, non-withdrawal or non-modification/s as recommended by ASCI's CCC would be reported as and when such non-compliance/s are identified so that the Ministry of AYUSH may take necessary action against such errant advertiser.

4.3 ASCI will also forward the supporting documents on the basis of which the decisions were/are taken by the ASCI.

4.4 Monthly teleconferences / video conferences between officials of Ministry of AYUSH and ASCI can be held and face to face meetings may be held twice in a year in Delhi to discuss the progress and other related issues in processing the complaints.

5. **TERMS OF PAYMENT**:

5.1 Ministry of AYUSH shall pay to ASCI in the stipulated time period of one year Rs. 7.50 lakhs (Seven lakhs and fifty thousand only) for processing up to 250 advertisements in a year and over and above on pro-rata basis (i.e. per advertisement) at the rate of Rs.2500/- (Two thousand and five hundred only) for each additional advertisement. Service tax, if applicable shall be paid as per the rates applicable in addition to the above cost.

5.2 The Ministry of AYUSH shall make the payment to ASCI in two six-monthly installments i.e. after six months of the agreement on the submission of the progress report and the remaining amount at the end of one year.

5.3 Within 15 working days following the end of one year on 19th January, 2018 the reconciliation of complaints processed during the year shall be done by both the parties and ASCI will raise an invoice on pro-rata basis (i.e. per advertisement) in case number of complaints exceed 250.

5.4 After reconciliation, the balance amount, if any, shall be paid to ASCI by Ministry of AYUSH within 30 days from the receipt of invoice.

6. **TAXES**:

Ministry of AYUSH is not responsible to pay taxes other than Service Tax (if any).

7. **TERMINATION**:

This MoU may be terminated by either party by giving 30 days advance notice.

8. **NOTICES**:

All correspondence and notices under this MoU shall be given in writing at the above mentioned addresses and e-mail IDs of the nominated officials unless specified otherwise. In case of change in address, the party shall notify the other party in writing about such change.

9. **DISPUTE RESOLUTION:**

If any dispute arises between the Parties in connection with this MoU, the Parties shall endeavor to settle such disputes amicably. In case the Parties fail to settle such disputes within a period of thirty (30) days from the date of reference, either Party shall be entitled to refer the disputes to an Arbitrator mutually appointed by the Parties. The Arbitration proceedings shall be conducted in Delhi /Mumbai and the same shall be governed by the provisions of the Indian Arbitration & Conciliation Act, 1996.

10. **AMENDMENTS**:

No variation in or modification of the terms of the MoU shall be made except by written amendment Signed by the parties.

11. **ENTIRE MoU**:

This MoU constitutes the entire agreement and understanding between the Parties, and supersedes any previous Agreement or understanding or promise between the parties, relating to the subject matter of this MoU.

In witness whereof this MoU has been executed by the parties on the date, month and year mentioned herein above.

For Ministry of AYUSH

Dr. Dinesh Chand Katoch
Adviser (Ayurveda)
Ministry of AYUSH
20th January, 2017

For ASCI

Srinivasan K Swamy
Chairman
ASCI
20th January, 2017

Witness:

For Ministry of AYUSH

20.1.17

Ramendra Pratap Shukla
Under Secretary
Ministry of AYUSH
20th January, 2017

For ASCI

Shweta Purandare
Secretary General
ASCI
20th January, 2017

समझौता ज्ञापन (एमओयू)

यह समझौता ज्ञापन एक ओर से आयुष भवन, जीपीओ कॉम्प्लैक्स, आईएनए, नई दिल्ली-110023 स्थित कार्यालय आयुष मंत्रालय, भारत सरकार अपने प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता **डॉ. डी सी कटोच** (जिन्हें आगे ("आयुष") कहा जाएगा) (इस अभिव्यक्ति में, जब प्रसंग स्वीकार करे, इसके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक और अभ्यर्पिती शामिल माने जाएंगे)।

और

दूसरी ओर से 717/बी, औरस चैंबर्स, एस एस अमरुतवार मार्ग, वर्ली, मुंबई-400018 स्थित भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई) कार्यालय, जो विज्ञापन विषय वस्तु का एक स्व-विनियमित स्वैच्छिक संगठन है, अपने प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता **श्री श्रीनिवासन के स्वामी** (जिन्हें आगे ("एएससीआई") कहा जाएगा) (इस अभिव्यक्ति में, जब प्रसंग स्वीकार करे, इसके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक और अभ्यर्पिती शामिल माने जाएंगे) के बीच 20 जनवरी, 2017 को नई दिल्ली में निष्पादित किया गया है।

आयुष और एएससीआई दोनों इसके पश्चात् सामूहिक रूप से "पक्षों" और व्यक्तिगत रूप से "पक्ष" के रूप में संदर्भित किए जाएंगे।

जबकि :

आयुष मंत्रालय आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी का इष्टतम विकास और वैश्विक प्रचार करने के लिए 09 नवबंर, 2014 को बनाया गया था।

और

एएससीआई और इसकी उपभोक्ता शिकायत परिषद (सीसीसी) उपभोक्ताओं, उद्योग और विनियामक प्राधिकारियों से प्राप्त ऐसे विज्ञापनों के खिलाफ शिकायतों पर कार्रवाई करती है जिन्हें झूठा, भ्रामक, अशिष्ट, अविधिक, असुरक्षित अभ्यास करने वाले, या प्रतिस्पर्धा के लिए अनुचित माना जाता है और विज्ञापन में स्व-विनियम हेतु एएससीआई नियमावली का उल्लघंन करते हैं।

जबकि आयुष मंत्रालय आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी चिकित्सा के संबंध में भ्रामक विज्ञापनों की शिकायतों पर कार्रवाई करने का काम आयुष मंत्रालय की ओर से सौंपने का इच्छुक है।

जबकि एएससीआई ने आयुष की ओर से आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी चिकित्सा, उपचारों और संबंधित सेवाओं के संबंध में भ्रामक विज्ञापनों की शिकायतों पर कार्रवाई करने का काम स्वीकार कर लिया है।

तदनुसार, पक्षों द्वारा और के बीच एतद्द्वारा निम्नलिखित सहमति हुई है:

1. **प्रभावी तारीख**

यह समझौता ज्ञापन 20 जनवरी, 2017 से 19 जनवरी, 2018 तक प्रवृत्त रहेगा।

2. **समझौता ज्ञापन की अवधि**

यह समझौता ज्ञापन प्रारंभ में मद संख्या 1 में उल्लिखित प्रभावी तारीख से 1 साल की अवधि तक चालू रहेगा और आयुष मंत्रालय और एएससीआई के आपसी करार के अनुसार और आगे की अवधि तक नवीकृत किया जा सकता है।

3. **कार्य का क्षेत्र**

3.1 प्रिंट और टीवी मीडिया में आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी चिकित्सा, उपचारों और संबंधित सेवाओं के संबंध में आने वाले विज्ञापनों का व्यापक अनुवीक्षण करना। तथापि, इसमें टेलीशॉपिंग के विज्ञापन शामिल नहीं हैं।

3.2 उपभोक्ताओं/अन्य किसी पणधारियों/स्व-प्रेरणा से पूरे मीडिया (विज्ञापन के प्रचार हेतु प्रयुक्त मीडिया के किन्हीं भी साधनों और जिनमें प्रेस/प्रिंट मीडिया, टीवी, रेडियो, पैकेजिंग और लेबलिंग पर कोई लिखित या ग्राफीय सामग्री, सिनेमा, होर्डिंग, बिक्री सामग्री प्वाइंट, हैंड बिल, सीधी मेल, पोस्टर, इंटरनेट इत्यादि शामिल हैं और केवल इन्हीं तक सीमित नहीं है) से एएससीआई द्वारा सीधी प्राप्त होने वाली शिकायतों पर कार्रवाई एएससीआई द्वारा की जाए और आयुष मंत्रालय को दी जाने वाली रिपोर्ट में शामिल की जाए। तथापि, टेलीशॉपिंग विज्ञापनों संबंधी शिकायतें उनके पठन और आवश्यक कार्रवाई हेतु सीधी आयुष मंत्रालय को भेजी जाएंगी।

3.3 आयुष मंत्रालय द्वारा अग्रेषित शिकायतों पर कार्रवाई करना।

3.4 आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी की औषधियों, उपचारों और संबंधित सेवाओं के बारे में कोई विज्ञापन जो संगत नियमों व विनियमों, औषधि एवं चमत्कारिक उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 तथा उसके अंतर्गत बने नियमों, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा उसके अंतर्गत बने नियमों और/अथवा विज्ञापन में स्व-विनियम हेतु एएससीआई की नियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन करता हो। अप्रमाणित दावे करता हो तथा उपभोक्ताओं को भ्रमित करता हो, एएससीआई द्वारा की गई कार्रवाई तथा राज्य विनियामक प्राधिकारियों और आयुष मंत्रालय द्वारा की लाने वाली आगे की कार्रवाई के लिए एएससीआई की सिफारिशों के अननुपालन के मामले दोषी, संबंधित राज्य विनियामक प्राधिकारी (जहां कहीं भी विज्ञापित किए जा रहे उक्त उत्पाद/उत्पादों अथवा सेवा/सेवाओं से संबंधित विनिर्माता/विज्ञापक का विवरण एएससीआई के पास उपलब्ध हो) और आयुष मंत्रालय के भी ध्यान में लाना। औषधि एवं

चमत्कारिक उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम,1954 तथा उसके अंतर्गत बने नियमों तथा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940तथा इसके अंतर्गत बने नियमों का प्रथम दृष्टया संभावित उल्लंघन करने वाले विज्ञापनों को सीधे आयुष मंत्रालय तथा संबंधित राज्य विनियामक प्राधिकारी (जहां कही भी विज्ञापित किए जा रहे उक्त उत्पाद/उत्पादों अथवा सेवा/सेवाओं से संबंधित विनिर्माता/विज्ञापक का विवरण एएससीआई के पास उपलब्ध हो) को उनकी सूचना तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जाएगा।

3.5 शिकायत का संज्ञान लेने के समय से लेकर एएससीआई द्वारा विज्ञापन में स्व-विनियम हेतु अपनी नियमावली तथा वर्तमान दिशा-निर्देशों में निर्धारित विज्ञापन के सिद्धांतों, औषधि एवं चमत्कारिक उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम,1954, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके अंतर्गत बने नियमों और/अथवा सरकारी नियमों एवं विनियमों, जिन्हें समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है और नए दिशा-निर्देश जारी किए जा सकते हैं, के अनुरूप अंतिम सिफारिशें करने तक शिकायतों पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसी शिकायतों के परीक्षण की प्रक्रिया एएससीआई की समय-समय पर संशोधित प्रक्रियाओं और कार्रवाईयों के अनुसार होगी। कोई विज्ञापन भ्रामक आपत्तिजनक और/या अवांछनीय है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय संगत नियमों एवं विनियमों, औषधि एवं चमत्कारिक उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 तथा उसके अंतर्गत बने नियमों, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा उसके अंतर्गत बने नियमों और/अथवा विज्ञापन में स्व-विनियम हेतु एएससीआई की नियमावली के अनुसार तथा एएससीआई द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात आयुष/सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जाएगा।

3.6 एएससीआई द्वारा दिए गए निर्णयों पर विज्ञापकों द्वारा मांगी गई 'पुनरीक्षा' की प्रक्रिया आयुष मंत्रालय द्वारा भेजी गई सभी शिकायतों अथवा एएससीआई द्वारा प्राप्त शिकायतों अथवा एएससीआई द्वारा स्व-प्रेरणा के आधार पर संसाधित शिकायतों पर लागू होगी। निर्णयादेश तथा एएससीआई की देय फीस के प्रयोजनों के लिए 'पुनरीक्षा' को पृथक शिकायत माना जाएगा।

3.7 आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी की औषधियों, उपचारों और संबंधित सेवाओं संबंधी किसी शिकायत पर एएससीआई द्वारा की गई कोई सिफारिश न्यायालय में चुनौती के अध्यधीन होती है अथवा एएससीआई आयुष मंत्रालय के साथ ऐसी न्यायालय की कार्यवाहियों में एक पक्ष के रूप में सम्मिलित होती है तो एएससीआई और आयुष मंत्रालय उस मामले का संयुक्त रूप से प्रतिवाद करेंगे। इस प्रकार की न्यायिक कार्यवाहियों वाले अदालती मामलों का प्रतिवाद करने में हुआ खर्च एएससीआई और आयुष मंत्रालय के बीच समान रूप से बांटा जाएगा।

3.8 यदि किसी एक ही पक्ष के खिलाफ विज्ञापन/विज्ञापनों की एकाधिक शिकायतें हों जिनका दावा समान हो तो उन्हें मिला दिया जाएगा और उन्हें एक ही शिकायत माना जाएगा।

3.9 सीसीसी द्वारा जो विज्ञापन संसाधित और/अथवा जिनका निराकरण कर दिया जाता है और जिनमें विज्ञापक अपने द्वारा प्राप्त शिकायत की तारीख से निर्धारित समय सीमा के भीतर अनुपालन सुनिश्चित कर देता है तो वर्ष/अवधि के दौरान शिकायतों की संख्या का हिसाब लगाते समय, उस पर विचार किया जाएगा।

4. रिपोर्टें

4.1 एएससीआई विशेष मास के दौरान संसाधित शिकायतों की संख्या के बारे में आयुष मंत्रालय को मासिक रिपोर्ट भेजेगी। यह रिपोर्ट एएससीआई की सीसीसी की पिछली बैठक का कार्यवृत्त जारी होने के पश्चात 15 कार्यदिवसों के अंदर-अंदर भेजी जाएगी।

4.2 एएससीआई की सीसीसी द्वारा यथा संस्तुत विनिर्दिष्ट समय के भीतर अनुपालन की पुष्टि न करने के शब्दों में अननुपालन, अप्रत्याहार या असंशोधन/असंशोधनों की रिपोर्ट, जब भी इस प्रकार के अननुपालनों का पता लगता है आयुष मंत्रालय को भेजी जाएगी ताकि ऐसे गुमराह विज्ञापक के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

4.3 एएससीआई वे सहायक दस्तावेज भी भेजेगा जिनके आधार पर एएससीआई द्वारा निर्णय लिए गए थे/लिए जाते हैं।

4.4 आयुष मंत्रालय और एएससीआई के अधिकारियों के बीच मासिक आधार पर टेली कॉन्फ्रेंस/ वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा सकती हैं और शिकायतों का संसाधन करने में हुई प्रगति और अन्य संबद्ध मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए वर्ष में दो बार दिल्ली में आमने-सामने बैठकर भी बैठकें की जा सकती हैं।

5. भुगतान की शर्तें

5.1 आयुष मंत्रालय एक वर्ष में 250 विज्ञापनों तक का संसाधन करने के लिए एक वर्ष की निर्धारित समयावधि पूरी होने पर एएससीआई को 7.50 लाख (सात लाख और पचास हजार मात्र) रुपए का भुगतान करेगा। इससे अधिक विज्ञापनों पर प्रति अतिरिक्त विज्ञापन के लिए 2500/- (दो हजार और पांच सौ मात्र) रुपए की दर से आनुपातिक आधार (अर्थात प्रति विज्ञापन) पर भुगतान करेगा। उपर्युक्त लागत के अलावा निर्धारित दरों पर सेवा कर, यदि लागू हो, का भुगतान किया जाएगा।

5.2 आयुष मंत्रालय एएससीआई को दो छमाही किस्तों में, अर्थात करार के छः माह के पश्चात प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर और शेष राशि एक वर्ष के अंत में, भुगतान करेगा।

5.3 19 जनवरी, 2018 को एक वर्ष का अंत होने के पश्चात आगामी 15 कार्य दिवसों के अंदर उस वर्ष के दौरान संसाधित शिकायतों का दोनों पक्षों द्वारा मिलान किया जाएगा और यदि शिकायतों की

संख्या 250 से अधिक हो तो एएससीआई आनुपातिक आधार (अर्थात प्रति विज्ञापन) पर एक इनवॉयस बनाएगी।

5.4 मिलान के पश्चात, यदि कुछ राशि शेष हो तो आयुष मंत्रालय द्वारा इनवॉयस प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के अंदर-अंदर एएससीआई को भुगतान किया जाएगा।

6. **कर**

आयुष मंत्रालय सेवा कर के अलावा कोई अन्य कर (यदि कोई हो) देने के लिए उत्तरदायी नहीं है।

7. **समापन**

यह समझौता ज्ञापन किसी भी पक्ष द्वारा 30 दिनों का अग्रिम नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है।

8. **सूचनाएं**

इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत किया जाने वाला पत्राचार और सूचनाएं, यदि अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया हो, तो उपर्युक्त पतों और नामित अधिकारियों की ई-मेल आईडी पर लिखित रूप में दी जाएंगी। पते में परिवर्तन होने पर एक पक्ष दूसरे पक्ष को ऐसे परिवर्तन के बारे में लिखित रूप में अधिसूचित करेगा।

9. **विवाद का निराकरण**

यदि इस समझौता ज्ञापन के संबंध में पक्षों के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो दोनों पक्ष ऐसे विवादों को आपसी सौहार्द से निपटाने का प्रयास करेंगे। यदि दोनों पक्ष संदर्भ की तारीख से तीस (30) दिनों के अंदर ऐसे विवादों के निपटान में सफल नहीं होते हैं, तो कोई भी पक्ष इन मामलों को दोनों पक्षों द्वारा आपसी सहमति से नियुक्त मध्यस्थ के पास ले जा सकता है। मध्यस्थता की कार्यवाही दिल्ली/मुंबई में आयोजित की जाएगी और वह भारतीय माध्यस्थ एवं सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों द्वारा अधिशासित की जाएगी।

10. **संशोधन**

समझौता ज्ञापन की शर्तों में कोई भी परिवर्तन या संशोधन दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित लिखित संशोधन के बिना नहीं किया जाएगा।

11. **संपूर्ण समझौता ज्ञापन**

इस समझौता ज्ञापन में पक्षों के बीच संपूर्ण करार और समझौता है और इस समझौता ज्ञापन की विषय वस्तु संबंधी पक्षों के बीच हुए पुराने करार या समझौते या वादे का अधिक्रमण करता है।

इसके साक्ष्य में इस समझौता ज्ञापन पर यहां ऊपर उल्लिखित तिथि, माह और वर्ष में दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं।

आयुष मंत्रालय के लिए	**एएससीआई के लिए**
डॉ. दिनेश चंद कटोच	**श्रीनिवासन के स्वामी**
सलाहकार (आयुर्वेद)	अध्यक्ष
आयुष मंत्रालय	एएससीआई
20 जनवरी, 2017	20 जनवरी, 2017

साक्षी :

आयुष मंत्रालय के लिए	एएससीआई के लिए
रामेन्द्र प्रताप शुक्ला	**श्वेता पुरन्द्रे**
अवर सचिव	महासचिव
आयुष मंत्रालय	एएससीआई
20 जनवरी, 2017	20 जनवरी, 2017